

कालु व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य
प्र0सं0—: 52/2023(रे0वाद)
निर्णय दिनांक:-18/12/2024

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, अर्चना चौधरी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 52/2023 रे.वाद
दायर दिनांक - 20/06/2023
निर्णय दिनांक- 18/12/2024

अनवान

1. कालु पिता लालु जाति गुर्जर निवासी पीथोखडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. भागुराम पिता लालु जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
3. ईन्द्रा पुत्री लालु पत्नि मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा हाल निवासी कनवेरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
4. सोसर पुत्री लालु पत्नि मिठा लाल जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा हाल निवासी बंजारीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
5. चुन्नी पत्नि स्व. लालु जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
6. काना, जगदीश, रोशन पिता सोहन जाति गुर्जर आयु नाबालिग जरीये संरक्षक पिता सोहन पिता पेमा जाति गुर्जर निवासी नराणा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. मांगी लाल पिता देवा जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. मथरा पत्नि मिठु जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द


प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से - श्री लादुनाथ योगी, अधिवक्ता अनुपस्थित




सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि वादीगण एव प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम पीथोखडा पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 36 खसरा संख्या 102 रकबा 0.9400 हैक्टर, खसरा संख्या 103 रकबा 1.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 105 रकबा 0.7500 हैक्टर कुल कित्ता 3 रकबा 2.7500 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादीगण संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड हैं एवं उसी अनुसार वादीगण अपने हिस्से कि भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहे है। शेष आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है जिस पर तहसीलदार देवगढ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	1. ईन्द्रा पुत्री लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	102/1	0.37	नहरी 2	2.59
	2. काना पुत्र सोहन हिस्सा 1/18 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	105/1	0.31	नहरी 2	2.17
	3. कालुराम पुत्र लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	103/1	0.19	नहरी 2	1.33
	4. चुन्नी पुत्री लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार				
	5. जगदीश पुत्र सोहन हिस्सा 1/18 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार				
	6. भागुराम पुत्र लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार				
	7. रोशन पुत्र सोहन हिस्सा 1/18 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार				
	8. सोसर पुत्री लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा.देह				



कालु व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य

प्र0सं0-: 52/2023(रे0वाद)

निर्णय दिनांक:-18/12/2024

खातेदार	योग	किता-03	0.87		6.09
2. 1. मथरा पत्नी मीतु हिस्सा सम्पूर्ण जाति गुर्जर सा देह खातेदार		102 105	0.49 0.38	नहरी 2 नहरी 2	3.43 2.66
	योग	किता-02	0.87		6.09
3. 1. मांगीलाल पुत्र देवा हिस्सा सम्पूर्ण जाति गुर्जर सा देह खातेदार		103	0.87	नहरी 2	6.09
	योग	किता-01	0.87		6.09
4. 1. ईन्द्रा पुत्री लालु हिस्सा 1/18 2. काना पुत्र सोहन हिस्सा 1/54 3. कालुराम पुत्र लालु हिस्सा 1/18 4. चुन्नी पुत्री लालु हिस्सा 1/18 5. जगदीश पुत्र सोहन हिस्सा 1/54 6. भागुराम पुत्र लालु हिस्सा 1/18 7. मथरा पत्नी मीतु हिस्सा 1/3 8. मांगीलाल पुत्र देवा हिस्सा 1/3 9. रोशन पुत्र सोहन हिस्सा 1/54 10. सोसर पुत्री लालु हिस्सा 1/18 जाति सभी गुर्जर सा. देह खातेदार		105/2 102/2	0.06 0.08	नहरी 2 नहरी 2	0.42 0.56
	योग	किता-02	0.14		0.98

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
देवगढ़ जिला राणसमन्द

डिक्री व मुकदमे इत्दाई
मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- अर्चना चौधरी आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या :- 52/2023

1. कालु पिता लालु जाति गुर्जर निवासी पीथोखडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. भागुराम पिता लालु जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
3. ईन्द्रा पुत्री लालु पत्नि मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा हाल निवासी कनवेरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
4. सोसर पुत्री लालु पत्नि मिठा लाल जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा हाल निवासी बंजारीया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
5. चुन्नी पत्नि स्व. लालु जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
6. काना, जगदीश, रोशन पिता सोहन जाति गुर्जर आयु नाबालिग जरीये संरक्षक पिता सोहन पिता पेमा जाति गुर्जर निवासी नराणा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. मांगी लाल पिता देवा जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. मथरा पत्नि मिठु जाति गुर्जर निवासी पीथाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण


उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से - श्री लादुनाथ योगी, अधिवक्ता अनुपस्थित।

में इस आशय दिनांक 18/12/2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम पीथोखडा पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 36 खसरा संख्या




सहायक कलक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द

102 रकबा 0.9400 हैक्टर, खसरा संख्या 103 रकबा 1.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 105 रकबा 0.7500 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 2.7500 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादीगण संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड हैं एवं उसी अनुसार वादीगण अपने हिस्से कि भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहे है। शेष आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	1. ईन्द्रा पुत्री लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	102/1	0.37	नहरी 2	2.59
		105/1	0.31	नहरी 2	2.17
	2. काना पुत्र सोहन हिस्सा 1/18 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	103/1	0.19	नहरी 2	1.33
	3. कालुराम पुत्र लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार				
	4. चुन्नी पुत्री लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार				
	5. जगदीश पुत्र सोहन हिस्सा 1/18 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार				
	6. भागुराम पुत्र लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार				
	7. रोशन पुत्र सोहन हिस्सा 1/18 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार				
	8. सोसर पुत्री लालु हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार				
	योग	किता-03	0.87		6.09
2.	1. मथरा पत्नी मीठु हिस्सा सम्पूर्ण जाति गुर्जर सा देह खातेदार	102	0.49	नहरी 2	3.43
		105	0.38	नहरी 2	2.66
	योग	किता-02	0.87		6.09
3	1. मांगीलाल पुत्र देवा हिस्सा सम्पूर्ण जाति गुर्जर सा देह खातेदार	103	0.87	नहरी 2	6.09



कालु व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य

प्र०सं०—: 52/2023(रे०वाद)

निर्णय दिनांक:—18/12/2024

	योग	किता-01	0.87		6.09
4	1. ईन्द्रा पुत्री लालु हिस्सा 1/18 2. काना पुत्र सोहन हिस्सा 1/54 3. कालुराम पुत्र लालु हिस्सा 1/18 4. चुन्नी पुत्री लालु हिस्सा 1/18 5. जगदीश पुत्र सोहन हिस्सा 1/54 6. भागुराम पुत्र लालु हिस्सा 1/18 7. मथरा पत्नी मीठु हिस्सा 1/3 8. मांगीलाल पुत्र देवा हिस्सा 1/3 9. रोशन पुत्र सोहन हिस्सा 1/54 10. सोसर पुत्री लालु हिस्सा 1/18 जाति सभी गुर्जर सा. देह खातेदार	105/2 102/2	0.06 0.08	नहरी 2 नहरी 2	0.42 0.56
	योग	किता-02	0.14		0.98

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्त
देवगढ़, जिला-राजसमन्त